परियोजना से संबंधित विभिन्न मदों पर अब तक लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए हैं जिसमें वास्तुकार और जून, 1997 में नियुक्त किए गए पूर्णकालिक परियोजना अधिकारी का 6.3 लाख रुपए का भुगतान आदि भी शमिल हैं।

(ङ) परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, सोसाइटी के लिए सहायता अनुदान इस वचनबद्धता पर तत्कालीन अध्यक्ष, नियंत्रण बोर्ड, कैंटीन सेवाएं के अनुमोदन से आबंटित किया गया था कि यह स्कूल सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की पात्र श्रेणियों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखेगा।

Air Crash/Accidents of IAF planes

809. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fighter pilots of the Indian Air Force and Army are prone to mid-air illusions because of inadequate training;

(b) what is the total number of air crash/ accident witnessed during the last four years;

(c) whether it is a fact that most of the accidents were occurred on account of human error and spatial disorientation; and

(d) if so, the steps taken by his Ministry to prevent such accidents?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MULAYAM SINGH YADAV): (a) to (d) Indoctrination of IAF pilots in regard to the physiological basis and likely illusions during flying is imparted followed by practical training in simmulators and actual flying. There have been 103 Category I air crashes since April 1993. Out of these 38 air accidents have taken place due to Human Error including 5 accidents due to spatial disorientation. However to curtail such accidents, on an immediate basis, Air support and attack patterns have been reviewed.

मृत सेवा-कार्मिकों के परिवारों को विशेष लाभ

810. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर सैनिकों के परिवार को अंतिम लाभ (टर्मिनल लाभ) के अंतर्गत कौन से विशेष लाभ दिये जाने का प्रावधान है;

(ख) इसके अंतर्गत वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कितने लोगों को सेना के तीनों अंगों में लाभ पहुंचाया गया;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सर्विस के दौरान मृत होने वाले सभी सैनिकों एवं अफसरों को सभी अंतिम लाभ योजनाओं के अंतर्गत एक समान लाभ दिया जाता है या इसमें कोई भेदभाव किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सभी के परिवारों को एक समान लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (घ) सेवा के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को सेवान्त/विशेष पेंशन लाभ स्वीकृत किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं:-

(क) यदि उनकी मृत्यु युद्ध या युद्ध जैसी संक्रियाओं, प्रति विद्रोही संक्रियाओं या सशस्त्र शत्रुओं, आतंकवादियों/उग्रवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि के साथ हुई मुठभेड़ या घटना में होती है तो

(1) दिवंगत कार्मिक द्वारा अंतिम बार आहरित वेतन के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन। या पेंशन उसकी विधवा के जीवित रहने तक या उसके अयोग्य होने तक इसी दर पर देय होती है। यदि कार्मिक की पत्नी जीवित न हो अपितु उसका केवल बच्चा/बच्चे हों तो निर्धारित दरों पर विशेष परिवार पेंशन के अतिरिक्त, बच्चों को शिक्षा भत्ता भी दिया जाता हैं। पत्नी तथा बच्चों के न होने की स्थिति में दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को निर्धारित दरों पर पेंशन देय है।

(2) मृत्यु उपदान अर्हक सेवा की अवधि पर निर्भर करती है जो मासकि गणनीय परिलब्धियों के आधे के अधिकतम 33 गुना होगी। अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए की हैं।

(3) सशस्त्र शत्रुओं/उग्रवादियों/आतंकवादियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों आदि के साथ हुई मुठभेड या घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन के अतिरिक्त 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाती हैं।

(4) अधिकतम 240 दिनों की छुट्टी नकदीकरण।

(ख) यदि मृत्यु सैन्य सेवा के कारण या उसकी गंभीरता से हुई है (युद्धेत्तर हताहत होने के मामलों में) तो,